प्रपत्र सं. 14
[विनियम 33(2)1

वसूली अधिकारी – I/II का कार्यालय
ऋण वसूली अधिकरण दिल्ली (डीआरटी1)
चौथी मंजिल, जीवन तारा भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001

मांग सूचना
ऋण वसूली – दिवालियापन अधिनियम, 1993 की धारा 25 से 28 के अंतर्गत तथा आयकर अधिनियम, 1961 की दूसरी अनुसूची के नियम 2 के अंतर्गत सूचना.

RC/382/2025 **08–10–2026**

आर्सिल बनाम शालेंद्र जैन एवं अन्य

प्रति

(सीडी 1) शालेंद्र जैन पुत्र गिरिश चंद जैन, मालिक. का मेसर्स कॉपर हाउस, 1/342 –1। गली नं. 1, प्रथम तल फ्रेंड्स कॉलोनी औद्योगिक क्षेत्र शाहदरा, दिल्ली–110095 यहाँ भी: मकान नं.30, गगन विहार एक्सटेंशन. कृष्णा नगर, दिल्ली–110051

(सीडी 2) सरोज जैन पत्नी श्री गिरिश चंद जैन एच.सं. 30, गगन विहार एक्सटेंशन, कृष्णा नगर, दिल्ली–110051

(सीडी 3) श्री सृजन जैन पुत्र श्री गिरिश चंद जैन, एच.सं. 30, गगन विहार एक्सटेंशन. , कृष्णा नगर, दिल्ली–110051

यह सूचित किया जाता है कि TA/2728/2022 में पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली न्यायाधिकरण दिल्ली (डीआरटी 1) द्वारा पारित आदेशों के अनुसरण में जारी वसूली प्रमाणपत्र के अनुसार, आपके विरुद्ध रु. 18132177.65 (रुपये एक करोड़ इक्यासी लाख बत्तीस हजार एक सौ सतहत्तर और पैंसठ पैसे मात्र) की राशि, दिनांक 02/05/2022 से वसूली होने तक 12 % मासिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से लंबित एवं भविष्य के ब्याज तथा रु. 150000 (रुपये एक लाख पचास हजार मात्र) की लागत सहित देय हो गई है (संयुक्त रूप से और पृथक–पृथक/पूर्णतः/सीमित)।

2. आपको एतद्वारा निर्देश दिया जाता है कि नोटिस प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर उपरोक्त राशि का भुगतान करें, ऐसा न करने पर वसूली बैंकों और वित्तीय संस्थानों को देय ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार की जाएगी।
3. आपको एतद्वारा आदेश दिया जाता है कि अगली सुनवाई की तारीख को या उससे पहले अपने परिसंपत्तियों का विवरण शपथपत्र पर घोषित करें।
4. आपको एतद्वारा आदेश दिया जाता है कि आगे की कार्यवाही के लिए 02/11/2026 को 10:30.सुबह बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित हों।
5. उपरोक्त राशि के अतिरिक्त, आप निम्नलिखित का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी होंगे:

(ए) प्रमाणपत्र/निष्पादन कार्यवाही के इस नोटिस के तुरंत बाद की अवधि के लिए ब्याज देय

(ए) इस नोटिस और वारंटों तथा अन्य प्रक्रियाओं की तामील के संबंध में किए गए सभी खर्च, शुल्क और व्यय तथा देय राशि की वसूली के लिए की गई अन्य सभी कार्यवाहियों के खर्च।

न्यायाधिकरण की मुहर और अपने हस्ताक्षर के अंतर्गत, इस तारीख: 08/10/2026 को जारी किया गया।

रविंदर कुमार तोमर
रिकवरी ऑफिसर–I
ऋण वसूली अधिकरण दिल्ली (डीआरटी 1)

प्रतिलिपि :–
कर्नाटक बैंक लिमिटेड
प्लॉट नं 13 साई मंदिर के पास, सविता विहार, दिल्ली–110092

आपको निर्देश दिया जाता है कि प्रमाणपत्र ऋणी(ऋणियों) द्वारा किया गया भुगतान, यदि कोई हो, तो इस मामले में प्रमाणपत्र ऋणी(ऋणियों) से देय सभी ऋणों के समेकित खाते में जमा किया जाए और रिकवरी ऑफिसर को भुगतान की स्थिति से नियमित रूप से अवगत जाए।

इस प्रकार बनाए गए समेकित खाते का सत्यापन रिकवरी ऑफिसर द्वारा किया जाएगा। आपको आगे निर्देश दिया जाता है कि उपर्युक्त मामले के संबंध में कुल दावे का अद्यतन विवरण और संपत्ति के उन विवरणों का पूरा ब्यौरा प्रस्तुत करें, जहां से ऋण की वसूली की जानी है।

फॉर्म–ए
सार्वजनिक सूचना
(भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (स्वैच्छिक परिशोधन प्रक्रिया) विनियमों, 2017 का विनियम 14)
ट्रांस ग्लोबल इम्पेक्स लिमिटेड के हितधारकों के ध्यानार्थ

1.	कॉर्पोरेट व्यक्ति का नाम	**ट्रांस ग्लोबल इम्पेक्स लिमिटेड**
2.	कॉर्पोरेट व्यक्ति के समावेश की तिथि	21 सितंबर, 1992
3.	प्राधिकारी जिसके अंतर्गत कॉर्पोरेट व्यक्ति समावेश/पंजीकृत है	रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़, दिल्ली–1
4.	कॉर्पोरेट व्यक्ति की कॉर्पोरेट पहचान नंबर	U74899DL1992PLC050365
5.	कॉर्पोरेट व्यक्ति के पंजीकृत कार्यालय और प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	पी–1 पिलांजी सरोजनी नगर, नई दिल्ली, भारत, 110023
6.	कॉर्पोरेट व्यक्ति के परिशोधन की शुरुआती तिथि	16 अक्तूबर, 2026
7.	परिसमापक का नाम, पता, ईमेल पता, टेलीफोन नंबर और पंजीकरण नंबर	श्री मोहन राम गोयनका, 46 बी.बी. गांगुली स्ट्रीट, क्रमांक 406, चौथी मंजिल, कोलकाता–700012, पश्चिम बंगाल। पत्राचार ईमेल: goenkamohan@gmail.com मोबाइल नं: 9831074332 पंजीकरण संख्या: IBBI/IPA-002/IP-N00288/2017-18/10846
8.	दावों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	15 नवंबर, 2026

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि **ट्रांस ग्लोबल इम्पेक्स लिमिटेड** ने स्वैच्छिक परिशोधन 16 **अक्तूबर**, 2026 को शुरू किया है।

ट्रांस ग्लोबल इम्पेक्स लिमिटेड के हितधारकों को आइटम 7 के अंतर्गत वर्णित पतों पर परिसमापक को 15 **नवंबर**, 2026 को या उस से पूर्व अपने दावों के प्रमाण को प्रस्तुत करने के लिए एतद्द्वारा आमंत्रित किया जाता है।

वित्तीय ऋणधारकों को केवल इलैक्ट्रॉनिक तरीके द्वारा अपने दावों का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। अन्य सभी हितधारकों को अपने दावे व्यक्ति, डाक द्वारा या इलैक्ट्रॉनिक तरीके द्वारा प्रस्तुत कर सकते हैं।

गलत या भ्रामक प्रमाणों को प्रस्तुत करना जुर्माने का हकदार होगा।

परिसमापक का नाम एवं हस्ताक्षर
श्री मोहन राम गोयनका
IBBI/IPA-002/IP-N00288/2017-18/10846

दिनांक: 16 अक्तूबर, 2026
स्थान: दिल्ली

Chola Enter a better life

चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

कॉर्पोरेट कार्यालय: चोला क्रेस्ट, सुपर बी, सी 54 और सी 55, 4, थिरू वी का इंडस्ट्रियल एस्टेट, गिंडी, चेन्नई–600 032,

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना।

आप, नीचे उल्लिखित उधारकर्ता/सह–उधारकर्ताओं को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी ने आपके विरुद्ध वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत कार्यवाही शुरू कर दी है और अधिनियम की धारा 13 (2) के अंतर्गत आपको भेजा गया नोटिस, जो उधारकर्ता/उधारकर्ताओं के लिए पंजीकृत डाक पावती सहित भेजा गया था, बिना तामील हुए वापस आ गया है। अतः आपको एतद्वारा सूचित किया जाता है कि आप इस नोटिस का संज्ञान लें और उक्त खाते के विरुद्ध उल्लिखित बकाया ऋण राशि तथा उस पर अर्जित होने वाले ब्याज का भुगतान इस प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर करें, ऐसा न करने पर कंपनी अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के अंतर्गत अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए नीचे उल्लिखित प्रतिभूति को प्रवर्तित करके ब्याज और लागत सहित अपनी बकाया राशि वसूल करने हेतु आपके विरुद्ध कार्यवाही करेगी। यह उल्लेख करना आवश्यक नहीं है कि यह नोटिस कंपनी को उपलब्ध किसी अन्य उपाय पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना आपको जारी किया गया है।

ऋण खाता संख्या **TL01PNP0000064145**, उधारकर्ता का नाम और पता / सह–उधारकर्ता: 1. मेसर्स शिव स्वीट्स एंड कैटरर्स (इसके प्रोपराइटर के माध्यम से), (उधारकर्ता), पताः 5 भगत सिंह एन्क्लेव स्ट्रीट नं 1, पानीपत, हरियाणा – 132 103. 2. श्री संजय कुमार, पुत्र श्री दर्शन लाल, (सह–उधारकर्ता), 3. श्रीमती रूपा, सी/ओ श्री संजय कुमार, (सह–उधारकर्ता), दोनों निवासी : पताः जलमाना अड्डा, ग्राम बापौली 54, डाकघर बापौली, जिला पानीपत, हरियाणा– 132104.ऋण राशिरु रु. 1,32,24,434/– मांग
नोटिस की तिथि : 13.10.2026, बकाया राशिः रु.1,30,72,624/– दिनांक 13.10.2026 तक उस पर अतिरिक्त ब्याज सहित और एनपीए तिथि : 05.10.2026

संपत्ति का विवरणः 149 वर्ग गज या 4 मरला 9 सरसाई माप वाली संपत्ति का संपूर्ण भाग, जो 6 कनाल 12 मरला माप वाली भूमि में से 299/7986 हिस्सा है, जो खेवट नंबर 544, खाता नंबर 563, खसरा नंबर 49//10/1/2/7 (6–12) में शामिल है, ग्राम बापोली, जिला पानीपत में स्थित है, दस्तावेज संख्या 2425 दिनांक 31–मार्च–2023, संजय कुमार के नाम पर।

स्थानः हरियाणा **प्राधिकृत अधिकारी**
दिनांक :17.10.2025 **चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के लिए**

---

pnb Housing Finance Limited

पंजी. कार्यालय: 9वीं मंजिल, अंतरिक्ष भवन, 22, के.जी.मार्ग, नई दिल्ली–110001,
फोन: 011–23357171, 23357172, 23705414, वेबसाइट: **www.pnbhousing.com**
शाखा कार्यालय– पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, बी–2/3 विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ–226010, उत्तर प्रदेश

कब्जा सूचना अचल सम्पत्ति हेतु नियम 8(1) और परिशिष्ट–IV के अनुसार

जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन एक्ट 2002 नियम 8(1) के अनुपालन के तहत पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का प्राधिकृत ऑफिसरी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कर्जदारों को निम्नलिखित दिनांकों को एक डिमांड नोटिस जारी किया था, जिसमें सूचना उल्लेखित रकमया राशि को, उक्त सूचना/प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर भुगतान करने का कहा गया था। कर्जदार(रों) उक्त राशि का भुगतान करने में असफल हो गये हैं इसलिये एतद्द्वारा उधारकर्ता तथा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमें नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13(4), उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित के अधीन उन्हें प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत कब्जा प्रत्येक खाते के सामने निम्नलिखित दिनांक को ले लिया है। कर्जदार(रों) को विशेष रूप से और सर्वसाधारण को सामान्य रूप से चेतावनी दी जाती है कि वे उक्त सम्पत्ति के साथ कोई भी लेन–देन न करें तथा सम्पत्ति के साथ कोई भी लेन–देन पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्रभार वाले ऋण समझौते के अनुसार राशि और भविष्य का ब्याज इत्यादि सहित के अधीन होगा। **कर्जदार(रों) का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।**

ऋण खाता नं.	कर्जदार/सह–उधारकर्ता/गारंटर/कानूनी वारिस का नाम	मांग सूचना की राशि	मांग सूचना की तिथि तक अनुसार राशि	कब्जा सूचना की तिथि/कब्जे का प्रकार	बंधक सम्पत्ति का विवरण
HOU/RLUC/0625/5811459 शाखा: लखनऊ	श्री/सुश्री शुमन सिंह (उधारकर्ता) और श्री/सुश्री राज कुमारी (सह–उधारकर्ता) और सुदरम सिंह (सह–उधारकर्ता)	07 जुलाई 2026	रु. 10,09,854.00 (रु. दस लाख नौ हजार आठ सौ चौवन मात्र) दि. 07.07.2026 तक	13-10-2026 (सांकेतिक)	सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि आवासीय प्लॉट संख्या 13 खसरा संख्या 135, ग्राम मानपुर लाला, तहसील परगना लखनऊ, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, भारत – 226021

तिथि: 13.10.2026, स्थान: लखनऊ — **प्राधिकृत अधिकारी, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड**

हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

कॉर्पोरेट कार्यालय: नंबर 167–169, दूसरी मंजिल, अन्ना सलाई, सैदापेट, चेन्नई - 600015, तथा, शाखा कार्यालय: एफ8, महालक्ष्मी टावर, सेक्टर 4, वैशाली, गाजियाबाद–201010

संपर्क विवरण:– जेडआरएम: अमित कौशिक(9587088333) | एएलएम: अरुण मोहन शर्मा 8800898999, आरआरएम: अमित कुमार मिश्रा (8178708726), ईमेल: **auction@hindujahousingfinance.com**

निजी संधि के माध्यम से बिक्री की सूचना

सरफेसी अधिनियम, 2002 के तहत एचएचएफएल को गिरवी रखी गई चल एवं अचल संपत्तियों की बिक्री।

एचएचएफएल के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधोहस्ताक्षरी ने सरफेसी अधिनियम की धारा 14(1) के तहत अनुसूची संपत्ति पर कब्जा कर लिया है। व्यापक तौर पर जनता को सूचित किया जाता है कि अनुसूची में वर्णित प्रतिभूत संपत्ति निजी संधि/सार्वजनिक ई–नीलामी के माध्यम से, एचएचएफएल के लिए सहमत शर्तों पर, 'जैसा है जहां है', 'जो है यही है' और 'जो कुछ भी है वहीं है' के आधार पर अपने बकाया की वसूली के लिए बिक्री के लिए उपलब्ध है।

मानक नियम एवं शर्तें: 1. बिक्री कठोरता से 'जैसा है जहां है', 'जो है यही है' और 'जो कुछ भी है वहीं है' के आधार पर की जाएगी। 2. क्रेता को आवेदन और केवाईसी दस्तावेजों के साथ प्रस्तावित राशि का 10% जमा करना होगा। इसे स्वीकृति पर आवश्यक 25% जमा के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा। ईएमडी पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। 3. एचएचएफएल द्वारा प्रस्ताव स्वीकार करने पर, खरीदार को बिक्री प्रतिफल का 25% (प्रारंभिक 10% सहित) अगले कार्य दिवस तक जमा करना होगा। 4. बिक्री प्रतिफल का शेष 75% भुगतान बिक्री की पुष्टि के 15 दिनों के भीतर करना होगा। 5. निर्धारित समय सीमा के भीतर राशि जमा करने में विफलता के परिणामस्वरूप प्रारंभिक 10% सहित सभी जमा राशि स्वतः जब्त हो जाएगी और संपत्ति को बिना किसी पूर्व सूचना के दोबारा बेचा जा सकता है। 6. यदि एचएचएफएल प्रस्ताव स्वीकार नहीं करता है, तो शुरूआती 10% जमा राशि बिना ब्याज के वापस कर दी जाएगी। 7. संपत्ति सभी मौजूदा और भावी ऋणभारों के साथ बेची जाती है, चाहे एचएचएफएल को ज्ञात हो या अज्ञात। एचएचएफएल किसी तीसरे पक्ष के दावे, अधिकार या वैधानिक बकाया के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। 8. खरीददार को संपत्ति के सभी पहलुओं की स्वतंत्र रूप से पूरी जाँच–पड़ताल करनी चाहिए। बाद में किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा। 9. एचएचएफएल बिना कारण बताए किसी भी प्रस्ताव को अस्वीकार करने या नीलामी रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। 10. नीलामी/बोली केवल 'ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक मोड' के माध्यम से वेबसाइट www.bankeauctions.com के माध्यम से होगी या नीलामी सेवा प्रदाता मेसर्स सी। इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रदान की जाएगी। 11. बोलीदाता ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपनी पसंद के स्थान से भाग ले सकते हैं। प्रतिभूत ऋणदाता/सेवा प्रदाता को किसी भी इंटरनेट कनेक्टिविटी समस्या के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। 12. ई–नीलामी पर किसी भी विवरण के लिए संभावित बोलीदाता सेवा प्रदाता मेसर्स सी। इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, कॉर्पोरेट कार्यालय प्लॉट नंबर 68, तीसरी मंजिल, सेक्टर – 44, गुड़गांव, हरियाणा– 122003 (संपर्क व्यक्ति: मिथलेश कुमार, फोन नंबर 7080804466, ईमेल: Mithalesh.kumar@c1india.com, ईमेल: tn@c1india.com, Prabhakaran.Malaichamy@c1india.com और सपोर्ट (हेल्पलाइन) मोबाइल नंबर +91–7291981124/25/26, सपोर्ट ईमेल – Support@bankeauction.com से संपर्क कर सकते हैं। 13. ई–नीलामी बिक्री में भाग लेने के लिए, इच्छुक बोलीदाताओं को अपना नाम https://www.bankeauctions.com पर पहले से पंजीकृत करना होगा और इच्छुक बोलीदाताओं को सेवा प्रदाता से पासवर्ड प्राप्त होने पर तुरंत बदलने की सलाह दी जाती है। 14. ई–नीलामी में भाग लेने के लिए, इच्छुक बोलीदाताओं को हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट/एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से वापसी योग्य जमा धरोहर राशि (ईएमडी) यानी आरक्षित मूल्य का 10% (जैसा कि ऊपर बताया गया है) जमा करना होगा। 15. इच्छुक पार्टियां विवरण के लिए प्राधिकृत अधिकारी से संपर्क कर सकती हैं और 02.11.2026 को शाम 5.00 बजे या उससे पहले केवाईसी दस्तावेजों के साथ ऑफर, ईएमडी जमा कर सकती हैं। 16. सफल नीलामी क्रेता को खरीद से संबंधित सभी स्टांप शुल्क, पंजीकरण शुल्क, कर और अन्य वैधानिक खर्च वहन करना होगा। 17. बिक्री सरफेसी अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी।

अनुसूची

संपत्ति (प्रतिभूत आस्ति) का विवरण: फ्लैट नंबर यूजीएफ–2, अपर ग्राउंड फ्लोर (सामने दाईं ओर) पर स्थित, जिसका क्षेत्रफल 460 वर्ग फुट है। यह प्लॉट नंबर ए–98 पर बना है, जिसका भूमि क्षेत्रफल 183.33 वर्ग गज (यानी 153.28 वर्ग मीटर) है। यह खसरा नंबर 347 का हिस्सा है और 'रेल विहार सहकारी आवास समिति लिमिटेड', ग्राम सदुल्लाबाद, परगना–लोनी, तहसील एवं जिला गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) में स्थित है (जिसे आगे 'उक्त संपत्ति' कहा गया है)। तकनीकी रिपोर्ट के अनुसार, इसकी सीमाएं इस प्रकार हैं: पूर्वः फ्लैट नंबर यूजीएफ–1, पश्चिमः खाली प्लॉट, उत्तरः 30 फुट चौड़ी सड़क, दक्षिणः प्रवेश/फ्लैट नंबर यूजीएफ–3.
आरक्षित मूल्य: रु. 11,00,000 (रुपये ग्यारह लाख मात्र), **ईएमडी:** रु. 1,10,000
ऋण संख्या: DL/GRN/OMCN/A000000101
कर्जदारों के नाम: 1. श्री रवि कुमार, 2. श्रीमती भारती भारती
ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि: 02.11.2026, 1700 बजे तक।
ई–नीलामी की तिथि/समय: 03.11.2026, 1100–1300 बजे तक।
बोली वृद्धि राशि: रु. 10,000

दिनांक: 17–10–2026, स्थान: गाजियाबाद — प्राधिकृत अधिकारी, हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के लिए

ऐक्सिस बैंक लि0 — कब्जे की नोटिस

रिटेल एसेट्स सेंटर: प्रथम तल, जी–4/5 बी सेंटर–4, गोमती नगर विस्तार, लखनऊ– 226010
रजिस्टर्ड ऑफिस: (त्रिशूल), तृतीय तल, समराथेश्वर मंदिर के सामने, लॉ गार्डन के पास, एलिसब्रिज, अहमदाबाद–380006

जबकि, अधोहस्ताक्षरी, ऐक्सिस बैंक लि0 के प्राधिकारी, न सिक्योरिटाइजशन एण्ड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फाइनेन्शियल एसेट्स एण्ड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 के अन्तर्गत तथा सिक्योरिटी इंटरेस्ट (इंफोर्समेंट) रूल, 2002 के नियम 9 के साथ पठित धारा 13(12) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत मांग नोटिस जारी किये गये। उक्त वर्णित उधारकर्ता राशि का भुगतान करने में असफल रहे है, अतः उक्त वर्णित उधारकर्ताओं को विशेष रूप से एवं सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उन्हें उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त एक्ट की धारा 13(4) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कब्जा ले लिया है। उपरोक्त वर्णित उधारकर्ताओं को विशेष रूप से तथा सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सावधान किया जाता है कि उक्त सम्पत्ति के साथ कोई सौदा न करें तथा उक्त सम्पत्ति के साथ किया जाने वाला कोई सौदा एक्सिस बैंक लि0 के साथ उक्त नोटिस में वर्णित वार्षिक ब्याज, अनुशंगी व्यय, लागत, प्रभार इत्यादि समेत से प्रभावी, मॉर्टगेज के विषयाधीन होगा। ऋणी/सह–ऋणी/बंधककर्ता एवं जमानतकर्ता का ध्यान सरफेसी एक्ट की धारा 13(8) की ओर आकृष्ट किया जाता है कि तय समय सीमा में बन्धक सम्पत्ति को रीडीम (मोचन) कर सकते हैं।

खातेदार/गारन्टरों का नाम एवं पता	सुरक्षित सम्पत्तियों का विवरण	मांग नोटिस के अनुसार बकाया राशि / मांग सूचना की तिथि / कब्जे की तिथि
1. श्री अभिषेक सैनी (ऋणी) पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार **पताः 1.** टर्नल रोड सी–20, ओगल भट्टा मंदिर, गोकुल एन्क्लेव, टर्नल रोड, देहरादून–248002, **पताः 2.** मोहल्ला–न्यू आदर्श नगर, मौजा–मलकपुर, लतीफपुर अंदर हदूद, परगना एवं तहसील रूड़की, जिला हरिद्वार–247667	भूमि/सम्पत्ति (रिहायशी/व्यवसायिक) स्थित खसरा नं0 54 का भाग, मोहल्ला–न्यू आदर्श नगर, मौजा–मलकपुर, लतीफपुर अंदर हदूद, परगना एवं तहसील रूड़की, जिला हरिद्वार, एरियाः 92.93 वर्ग मी., **चौहद्दीः** पूरब– अन्य का प्लॉट, पश्चिम– रास्ता 16 फीट चौड़ा, उत्तर– अन्य का प्लॉट, दक्षिण– रास्ता 16 फीट चौड़ा।	रू0 3767213.00 रू0 56419.00 दि. 17.01.2025 तक + ब्याज एवं अन्य खर्चे 21.01.2025 15.10.2026
1. श्री अमित तोमर (ऋणी) पुत्र श्री रामपाल सिंह **पताः 1.** लोयन, मिलकपुर, बागपत–250611, **पताः 2.** 617/10, गोबिन्द गार्डन, निकट बओली चुंगी, कनल रोड, निकट शिव मंदिर, बरौत, बागपत–250611, 2. श्रीमती राखी (सह–ऋणी) पत्नी श्री अमित तोमर पताः 617/10, गोबिन्द गार्डन, निकट बओली चुंगी, कनल रोड, निकट शिव मंदिर, बरौत, बागपत–250611, 3. श्रीमती कृष्णा देवी (सह–ऋणी) पत्नी श्री स्व0 रामपाल सिंह पताः 562, लोयन, मलकपुर, निकट शिव मंदिर, बागपत–250611	**सम्पत्ति नं0 1.** व्यवसायिक/रिहायशी सम्पत्ति स्थित मोहल्ला आबादी कस्बा बरौत, मोहल्ला गोबिन्द गार्डन पट्टी चौधरान बहार सीमा नगर पालिका परिषद, बरौत, बागपत, एरियाः 46.45 वर्ग मी., सम्पत्ति श्री अमित तोमर के नाम। **चौहद्दीः सेल डीड के अनुसारः** पूरब– नाली, पश्चिम– रास्ता 30 फीट चौड़ा, उत्तर–कृष्णा का प्लॉट, दक्षिण– गोविन्द तोमर का प्लॉट।	रू0 4458568.95 रू0 25272.00 दि. 01.06.2026 तक + ब्याज एवं अन्य खर्चे 23.06.2026 15.10.2026
सम्पत्ति नं0 2. व्यवसायिक/रिहायशी सम्पत्ति स्थित मोहल्ला आबादी कस्बा बरौत, मोहल्ला गोबिन्द गार्डन पट्टी चौधरान बहार सीमा नगर पालिका परिषद, बरौत, बागपत, एरियाः 92.90 वर्ग मी., सम्पत्ति श्रीमती कृष्णा देवी के नाम। **चौहद्दीः सेल डीड के अनुसारः** पूरब– नाली, पश्चिम– रास्ता 30 फीट चौड़ा, उत्तर–संतोष देवी, दक्षिण– विक्रेता का प्लॉट।		
1. श्री मोहन भदौरिया (ऋणी) पुत्र श्री आनंद प्रकाश भदौरिया पताः मुख्य रोड घिरोर, मैनपुरी, उ0प्र0, 205121, 2. श्रीमती शशि (सह–ऋणी) पत्नी श्री आनंद प्रकाश भदौरिया **पताः 1.** मुख्य रोड घिरोर, कस्बा एवं परगना घिरोर, तहसील एवं जिला मैनपुरी, उ0प्र0, 205121, **पताः 2.** खसरा नं0 220, मौजा–गोधना, परगना–घिरोर, तहसील एवं जिला–मैनपुरी, उ0प्र0, 205121, **पताः 3.** खसरा नं0 187 का भाग, नगला शेरू, मौजा–गोधना, परगना–घिरोर, तहसील एवं जिला–मैनपुरी, उ0प्र0, 205121	**सम्पत्ति नं0 1.** रिहायशी/व्यवसायिक सम्पत्ति स्थित खसरा नं0 220, मौजा–गोधना, परगना–घिरोर, तहसील एवं जिला–मैनपुरी, उ0प्र0, 205121, एरियाः 600 वर्ग फीट (55.80 वर्ग मी.), सम्पत्ति श्रीमती शशि के नाम। **चौहद्दीः** पूरब– अरून कुमार एवं अन्य का प्लॉट, पश्चिम– अमर दास का प्लॉट, उत्तर– मैनपुरी शिकोहाबाद रोड, दक्षिण– विक्रेता की भूमि।	रू0 3155756.92 रू0 30610.09 दि. 15.12.2025 तक + ब्याज एवं अन्य खर्चे 17.12.2025 15.10.2026
सम्पत्ति नं0 2. रिहायशी/व्यवसायिक सम्पत्ति स्थित खसरा नं0 187 का भाग, नगला शेरू, मौजा–गोधना, परगना–घिरोर, तहसील एवं जिला–मैनपुरी, उ0प्र0, 205121, एरियाः 787.5 वर्ग फीट (73.18 वर्ग मी.), सम्पत्ति श्रीमती शशि के नाम। **चौहद्दीः** पूरब– मानसिंह एवं मुकीर की आराजी, पश्चिम– राम प्रताप एवं ग्राम समाज, उत्तर– खेत, दक्षिण– रोड पी.डब्ल्यू.डी।		
1. श्रीमती मोनिका प्रसाद (ऋणी) पत्नी श्री अवनीत सैनी **पताः 1.** ग्राम शेरपुर पोस्ट धनधेरी रूड़की धनधेड़ी ख्वाजगीपुर, हरिद्वार यू0के0–247667, **पताः 2.** मोहल्ला सोलानी बिहार मौजा रूड़की बहार हदूद (वर्तमान में अंदर हदूद सीमा नगर निगम रूड़की) परगना एवं तहसील रूड़की, जिला हरिद्वार।	व्यवसायिक/रिहायशी सम्पत्ति स्थित खसरा नं0 598एम, मोहल्ला सोलानी बिहार मौजा रूड़की बहार हदूद (वर्तमान में अंदर हदूद सीमा नगर निगम रूड़की) परगना एवं तहसील रूड़की, जिला हरिद्वार, एरियाः 148.70 वर्ग मी., सम्पत्ति श्रीमती मोनिका प्रसाद पत्नी श्री अवनीत सैनी के नाम। **चौहद्दीः सेल डीड के अनुसारः** पूरब– रास्ता 22 फीट चौड़ा, पश्चिम– अन्य व्यक्ति का प्लॉट, उत्तर– नीतू राम का प्लॉट, दक्षिण– अश्वनी सैनी का प्लॉट।	रू0 4907480.61 रू0 5358.95 दि. 01.06.2026 तक + ब्याज एवं अन्य खर्चे 24.06.2026 15.10.2026
1. श्री शैलेष कुमार (ऋणी) पुत्र श्री चन्द्र पाल **पताः 1.** ग्राम नीवारी कोसमा निकट गामा देवी मंदिर, मुसलमीन जिला मैनपुरी, उ0प्र0–205119, **पताः 2.** गाटा नं0 2130के एवं 2138के मौजा कोसमा मुसलमीन परगना एवं तहसील घिरोर, जिला मैनपुरी, उ0प्र0–205121, 2. श्रीमती सुरभाषा (सह–ऋणी) पत्नी श्री शैलेष कुमार पताः ग्राम नीवारी कोसमा निकट गामा देवी मंदिर, मुसलमीन जिला मैनपुरी, उ0प्र0–205119	व्यवसायिक/रिहायशी सम्पत्ति स्थित गाटा नं0 2130के एवं 2138के मौजा कोसम मुसलमीन परगना एवं तहसील घिरोर, जिला मैनपुरी, एरियाः (115.32 वर्ग मी. +79.09 वर्ग मी.) =194.41 वर्ग मी., सम्पत्ति श्री शैलेष कुमार पुत्र श्री चन्द्र पाल के नाम। **चौहद्दीः सेल डीड 1. के अनुसारः** पूरब–अशोक कुमार का मकान, पश्चिम– लालमनी का मकान, उत्तर– रास्ता 5 फीट चौड़ा, दक्षिण– रास्ता 12 फीट चौड़ा, **चौहद्दीः सेल डीड 2. के अनुसारः** पूरब– रास्ता 8 फीट चौड़ा, पश्चिम– राकेश कुमार का मकान, उत्तर– मनवटी आदि का मकान, दक्षिण–रास्ता 4 फीट चौड़ा।	रू0 2088118.65 रू0 16532.62 दि. 01.06.2026 तक + ब्याज एवं अन्य खर्चे 19.06.2026 15.10.2026

दिनांकः 15.10.2026 — प्राधिकृत अधिकारी, एक्सिस बैंक लि0

ऐक्सिस बैंक लि0 — कब्जे की नोटिस

रिटेल एसेट्स सेंटर: प्रथम तल, जी–4/5 बी सेंटर–4, गोमती नगर विस्तार, लखनऊ– 226010
रजिस्टर्ड ऑफिस: (त्रिशूल), तृतीय तल, समराथेश्वर मंदिर के सामने, लॉ गार्डन के पास, एलिसब्रिज, अहमदाबाद–380006

जबकि, अधोहस्ताक्षरी, ऐक्सिस बैंक लि0 के प्राधिकारी, न सिक्योरिटाइजशन एण्ड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फाइनेन्शियल एसेट्स एण्ड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 के अन्तर्गत तथा सिक्योरिटी इंटरेस्ट (इंफोर्समेंट) रूल, 2002 के नियम 9 के साथ पठित धारा 13(12) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत मांग नोटिस जारी किये गये। उक्त वर्णित उधारकर्ता राशि का भुगतान करने में असफल रहे है, अतः उक्त वर्णित उधारकर्ताओं को विशेष रूप से एवं सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उन्हें उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त एक्ट की धारा 13(4) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कब्जा ले लिया है। उप